

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- अति.मु.न.नि./रा.आ.म./जयपुर/2025-26/222

दिनांक : 06.02.2026

श्री अवनीश भटनागर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,
राजस्थान पत्रिका प्राइवेट लिमिटेड,
केसरगढ, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302004

विषय:- व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 23/K (क्षेत्रफल 2426.49 वर्ग मीटर) सेक्टर-23, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर के व्यावसायिक भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

संदर्भ:- आपके पत्र दिनांक 06.02.2026 एवं प्रकोष्ठ के समसंख्यक पत्र क्रमांक 219 दिनांक 04.02.2026 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र क्रमांक 219 दिनांक 04.02.2026 को निरस्त करते हुए भवन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित भवन निर्माण स्वीकृति जारी की जाती है:-

अनुमोदित मानदण्ड :-

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	2426.49 वर्ग मीटर			
2.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ।			
3.	प्रथम अनुमोदन/संशोधन	प्रथम अनुमोदन			
4.	सैटबैक	सामने	पार्श्व-I	पार्श्व-II	पीछे
		9.00 मी.	9.00 मी.	9.00 मी.	9.00 मी.
5.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	19931.88 वर्ग मीटर			
6.	बी.ए.आर.	4.41 (10709.75 व.मी.) व्यावसायिक 10709.75 व.मी.			
7.	आच्छादित क्षेत्रफल	38.00 प्रतिशत (922.07 व.मी.)			
8.	ऊंचाई	0.70 मीटर प्लिन्थ + 36.00 + 7.19 मी. कुल 43.89 मीटर			
9.	तलों की संख्या	(3B+G+9)			
10.	पार्किंग (ECU)	कार		स्कूटर	बस
		सरफेस	मैकेनिकल		
		111	50	53.67	-
11.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन निर्माण अनुज्ञा की अवधि लीज-डीड/पट्टे में उल्लेखित भवन निर्माण अवधि या 7 वर्ष जो भी कम हो देय होगी।			
12.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	प्रस्तावित भवन की ऊंचाई 43.89 मीटर है। साइट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार है:-			
		26° 49' 05.93" N		75° 50' 56.57" E	
		26° 49' 04.75" N		75° 50' 57.14" E	
		26° 49' 06.70" N		75° 50' 58.64" E	
		26° 49' 05.50" N		75° 50' 59.16" E	

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2026.02.06 13:46:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20378153



सामान्य शर्त:-

1. भवन मानचित्र अनुमोदन स्वीकृति भवन विनियम-2025 के तहत जारी की गयी है। आवेदनकर्ता की स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि अनुमोदित भवन मानचित्र (संलग्न) अनुसार भवन विनियमों के समस्त प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
2. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक द्वारा उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, जयपुर को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
3. भवन निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं स्वामित्व विवादित होने की स्थिति में भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए राजस्थान आवासन मण्डल जिम्मेदार नहीं होगा।
4. भवन मानचित्रों के अनुमोदन पश्चात् मौके पर भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर भवन विनियमानुसार ब्योरा जो की पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकें।
5. आवेदक द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत भवन मानचित्र अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. आवेदक द्वारा भवन निर्माण भवन विनियम-2025 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित नियमों, प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित अग्निशमन संबंधित प्रावधान, विद्युत सेवा, जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, वर्षा जल संग्रहण यूनिट, सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम, वातानुकूल सेवाएँ, भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड, भूकम्परोधी भवन आदि का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
8. अनुमोदित मानचित्रों में जिस भाग को पार्किंग हेतु अनुमोदित किया है वह भाग आवेदनकर्ता द्वारा किसी को बेचा नहीं जावेगा एवं केवल पार्किंग हेतु उपयोग में लिया जावेगा। इसका पार्किंग के अलावा अन्य उपयोग पाये जाने पर राजस्थान आवासन मण्डल बिना किसी सूचना के तोड़ने का हकदार होगा एवं तोड़ने का हर्जा खर्चा वसूला जावेगा।
9. भवन निर्माण जिसमें पर्यावरण विभाग एवं भारतीय नगरीय उड्डयन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति अनिवार्य होने पर संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र/ स्वीकृति प्राप्त की जाकर ही निर्माण किया जावेगा।
10. भवन विनियम-2025 के विनियम संख्या 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
11. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2026.02.06 13:46:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20378153

12. भवन मानचित्र स्वीकृति के कारण यदि राजस्थान आवासन मण्डल को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिनियम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. अनुमोदित भवन मानचित्र अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
14. आवेदक द्वारा भवन निर्माण के संबंध में नियमानुसार लेबर सेस की राशि प्रतिवर्ष स्वयं के स्तर पर श्रम विभाग में जमा करवाई जानी होगी।
15. अनुमोदित भवन मानचित्र में बैटरमेंट लैवी हेतु अतिरिक्त बी.ए.आर. क्षेत्र का न्यूनतम 15 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल की ईकाईयों को नवें तल (9th Floor) पर प्रस्तावित किया गया है। भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र/आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र अथवा बैटरमेंट लैवी की सम्पूर्ण राशि जमा होने की सुनिश्चितता पश्चात् ही अदेय प्रमाण पत्र/रहनमुक्त प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा।

उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर राजस्थान आवासन मण्डल हर्जा खर्चा वसूलने एवं अन्य दण्डात्मक कार्यवाही जैसे आर्थिक दण्ड कर सकता है जिसे आवेदनकर्ता देने के लिए बाध्य रहेगा।

संलग्न :- मानचित्रों की प्रति का 1 सैट (16 मानचित्र)

भवदीया

(रिंकू बंसल)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-बारह, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। भवन निर्माण अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation: Additional Chief town
Planner
Date: 2026.02.06 13:46:28 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20378153

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

जैसे दिखे गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का सख्त प्रतीक
हो होगा।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाषा
प्रमाणित नूनि/मूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

और कच्चा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मूल निम्नतः
सेवाएँ नगरीय विद्युत कंस ऑफ इन्फ्रस्ट्रा
के उपस्था के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंचित पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि रक्षण
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवस्यन मण्डल
कार्यालय में अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS
SITE PLAN

SCALE:- 1= 150

DATE :- 12-01-2026

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K, SECTOR: 23
PRATAP NAGAR JAIPUR

ARCHITECTS:-
m a architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patika (P) Ltd.
Authorised Signatory

Mr. Ramkrishna Gossawal
B Arch.
CA/2011/52322

AREA CALCULATIONS:-

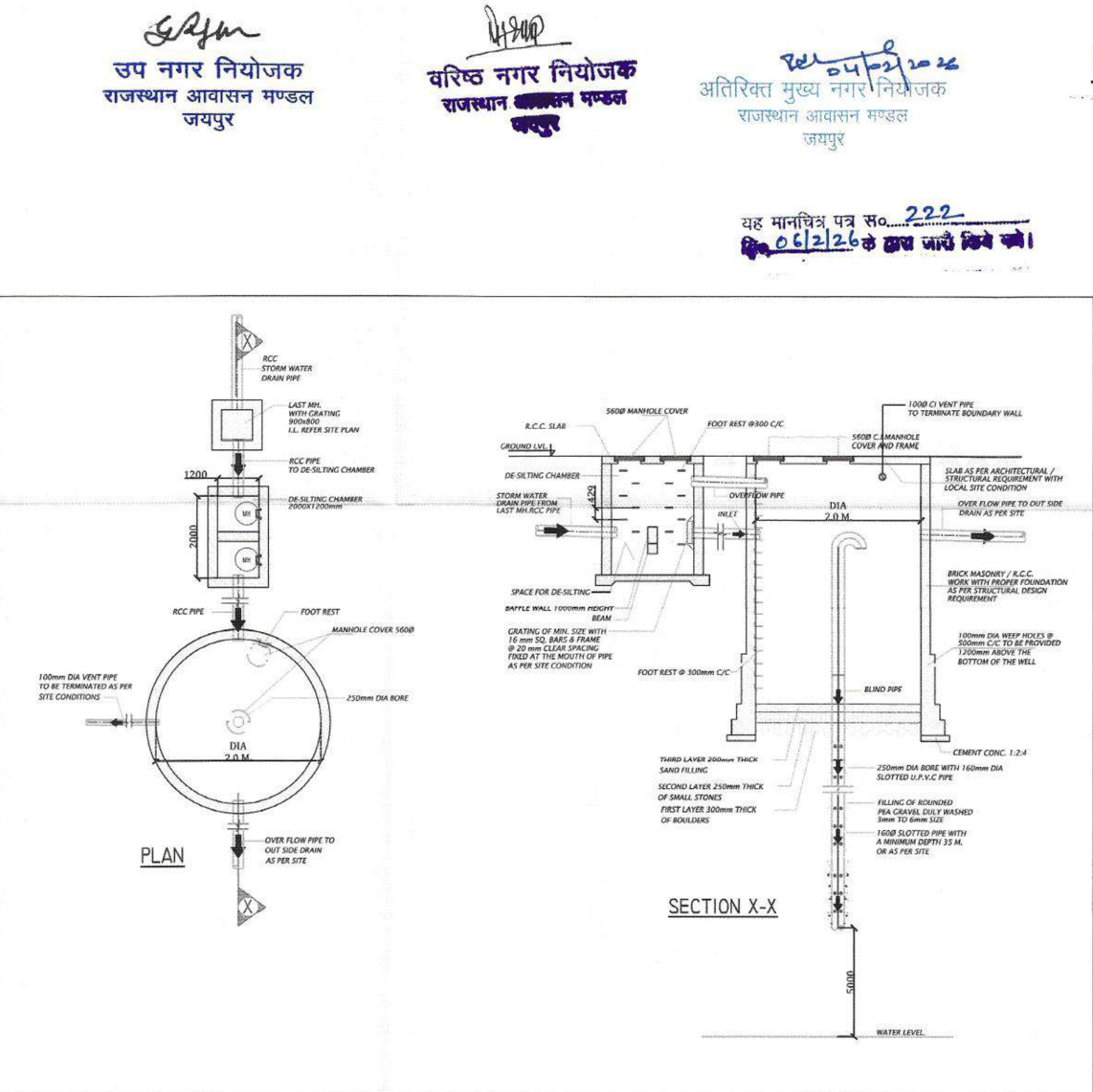
S.NO.	FLOOR	GBUA [a]	PARKING AREA [b]	SERVICES [c]	ELEV. FEATURES [d]	FIRE TOWER [e]	BLOCK AREA [g=a-b-c-d-e-f]	CUT-OUT [h]	LIFT CUT-OUT [j]	SERVICE CORRIDOR/ REFUGE [k]	BAR [l=g-h-j-k]
1	BASEMENT 3	2221.5	1630.95	590.55							0
2	BASEMENT 2	2216.8	1630.95	562.24							0
3	BASEMENT 1	2216.8	1630.95	562.24							0
4	GROUND	1331.8		17.12	400.37	52.9	861.41	6.23	25.42	0	829.76
5	1st FLOOR	996.33			39.17	52.9	904.26	7.22	25.42	23.96	854.88
6	2nd FLOOR	1306.65			169.15	52.9	1084.6	8.17	25.42	25.35	1033.83
7	3rd FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	25.35	1040.3
8	4th FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	25.35	1040.3
9	5th FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	25.35	1040.3
10	6th FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	171.27	894.38
11	7th FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	25.35	1040.3
12	8th FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	25.35	1040.3
13	9th FLOOR	1308.13			169.15	52.9	1086.08	6.7	20.43	25.35	1040.3
14	TERRACE	485.09									855.1
TOTAL		19931.88	4892.85	1732.15	1792.74	529	10452.83	68.52	219.27	372.68	10709.75

1	SITE AREA=	2426.49
2	STANDARD BAR=	2
		4852.98
3	ACHIEVED BAR=	10709.75
		4.41
4	SET-BACKS	
FRONT-		9
SIDES-		9
REAR-		9
5	ACHIEVED HEIGHT=	(0.7m)+36mt+7.19mt
6	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	within setback
7	ACHIEVED GROUND COVERAGE=	38%
8	PARKING CALCULATION	
REQUIRED		
REQUIRED PARKING=		BAR/75
		142.8
50% VISITORS		71.40
TOTAL ECU=		214.20
SAY		214
NO. OF CARS(75%)		161
NO. OF TWO WHEELERS(25%)		161

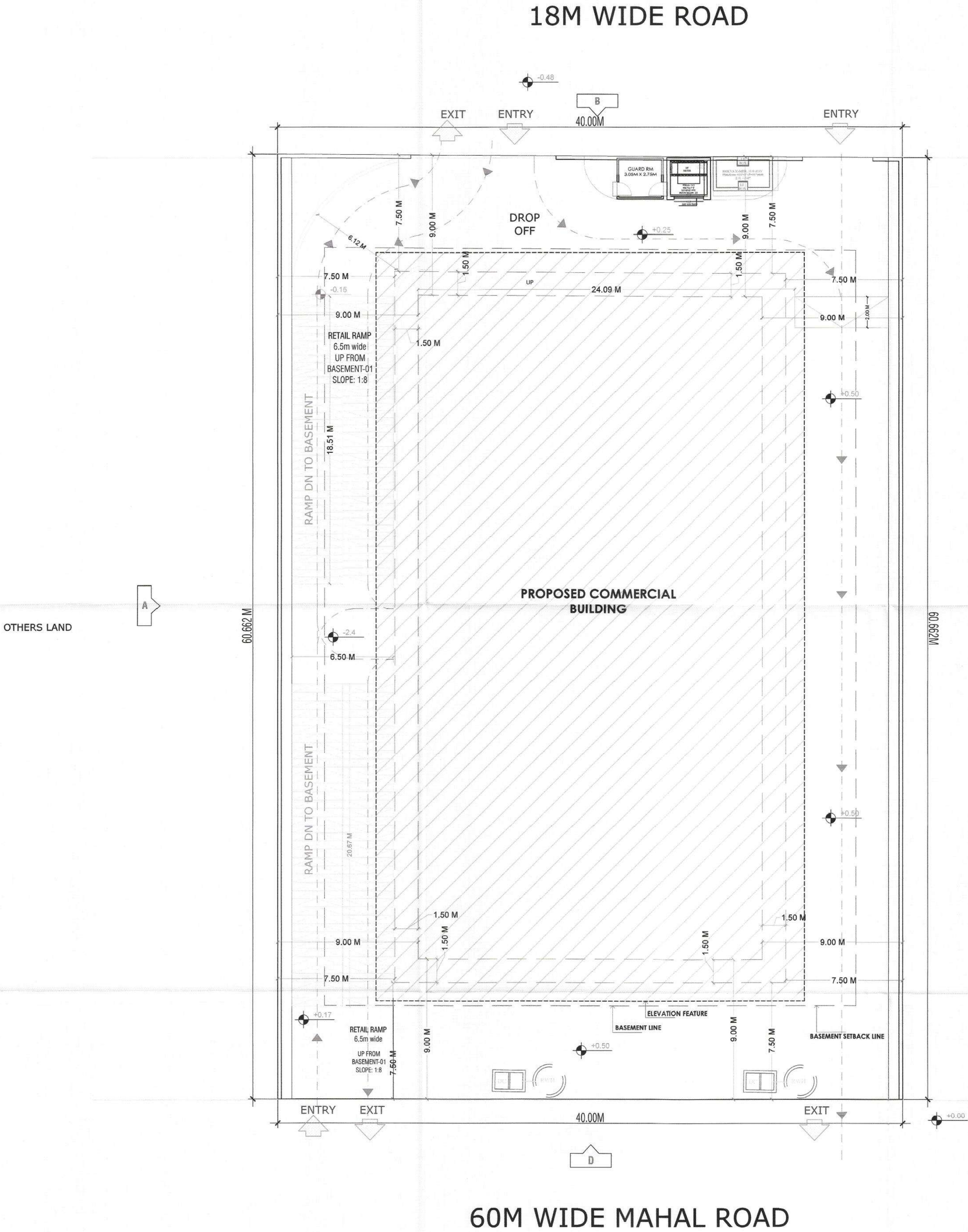
TOTAL PARKING PROVIDED					
FLOOR	CARS	MECHANICAL CARS (1+1)	TWO WHEELERS		TOTAL E.C.U.
			SCOOTERS	E.C.U.	
BASEMENT 3	39	39	66	22.00	100.00
BASEMENT 2	37.00	11.00	32.00	10.67	58.67
BASEMENT 1	33.00	0.00	36.00	12.00	45.00
HANDICAP PARKING AT GROUND FLOOR	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
OPEN GROUND	0.00	0.00	27.00	9.00	9.00
TOTAL	111.00	50.00	161.00	53.67	214.67

TOTAL PROVIDED CARS (E.C.U.)	161.00
TOTAL PROVIDED SCOOTERS (E.C.U.)	53.67
TOTAL PARKING	214.67

TERRACE FLOOR CALCULATION	
AREAS IN SQ MT	
FLOOR PLATE AREA =	1145.89
75% OF FLOOR PLATE AREA =	859.41
OPEN + COVERED (74.6 %) =	855.19
COVERED AREA (24.2 %) =	239.5
OPEN TERRACE =	615.66



TYPICAL RAIN WATER HARVESTING PIT SECTIONAL DETAIL



60M WIDE MAHAL ROAD

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राचीन
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति
अन्यथा भूमि/प्लॉट के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास
सेवाएँ नेशनल विस्डिंग कोड ऑफ इन्फ्रस्ट्रक्चर
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य शक्ति चयन
अधिकारिता केन्द्र पर नगर नियम से अनापत्ति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा अवाप्त मण्डल
कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जाने अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222
दि. 06/12/2020 को जारी जारी किया गया।

OWNER
For Rajasthan Patika (P.L.)
Authorised Signatory

ARCHITECTS
Ar. Ramesh Raza Gosal
B. Arch.
CA/2011/3332



पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जाएगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का सख्त प्रामाणिकता
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति
प्रस्तावित भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा और नही
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
की प्रभावित होगी।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकरी एवं जल, मल निष्कास
सेवाएं नेशनल विटिंग कॉड ऑफ इन्फ्रिया
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंचिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शक्ति
अधिकारी वलपुर नगर निगम से अग्नि प्रति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल
कार्यालय में अग्नि प्रति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जाती अनिवार्य होगी। अथवा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222
दि. 06/12/24 के द्वारा जारी किये गये।

ARCHITECTS:-
ma architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patika (P.L.)
Authorized Signatory

Ar. Ramakrishna Reddy
B. Arch
CAI/2019/53352

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति
अनुमोदित नूतन/पुनरुद्धार के प्रति स्वामित्व का
अन्तर्गत पत्र-पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

1. यह योजना केवल 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
पर ही मान्यता प्राप्त होगी और अन्यथा
के उपरान्त नहीं मान्य होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन
अधिकारी कायपुर नगर निगम से अग्नि प्रति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा अग्नि शमन मण्डल
कार्यालय में अग्नि प्रति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त
की जायेगी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222
दि. 06.12.2024 के द्वारा जारी किया गया।

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 125

DATE : 12-01-2026



PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K, SECTOR: 23
PRATAP NAGAR, JAIPUR

ARCHITECTS:-
m a architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patrika Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

Ar. Rameez Raiza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352

7th-8th Floor

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

मनुष्य को अपने अपने अनुभूत, मानचित्र
मनुष्य को अपने अपने अनुभूत, मानचित्र
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थना
का ही होगा।"

Adequate Light and Vontilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मगनधित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वागित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वागित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

खोर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकाशी एवं जल, मल निष्कास
सेवाएँ नेशनल विलिंग कौन्सिल ऑफ इण्डिया
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

**Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules**

प्रस्तावित नयेन 15 मीटर सँ अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर सँ अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने सँ पूर्व मुख्या अगित शमन अधिकारी जयपुर नगर निगम से आनापति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा आवासन मण्डल द्वारा नयेन सँ आनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जागी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृत 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

महेश्वर
वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवसथान मण्डल,
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानाधिकार पत्र सं. 222 दि. 06/2/26 के द्वारा जारी किये गये।

ARCHITECTS:-
m a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sakhar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patrika (P) Ltd.
Authorized Signatory

Ar. Rameez Raza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"कृपया किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राची
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शक्ति
प्रधानता भूनिर्माण/सुधार के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

वैयक्तिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, गल निकास
सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्फ्रस्ट्रक्चर
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अग्निसुरक्षा प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक मण्डल
कार्यालय में अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित


उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर


वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर


अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

NOTE :
STANDARD BAR = 2 OR 4852.98 SQ MT
ACHIEVED BAR = 10709.75 SQ MT
ADDITIONAL BAR = 5856.77 SQ MT
AT LEAST 15% MORTGAGE AREA ≥ 878.51 SQ MT
9th FLOOR AREA FOR MORTGAGE = 951.25 SQ MT

यह मानचित्र पत्र सं. 222-
दि. 06/12/2026 के द्वारा जारी किया गये।

ARCHITECTS:-
m a architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patika Pvt. Ltd.

Authorised Signatory


Ar. Rameez Raza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352

TERRACE FLOOR PLAN

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जैसे किचे गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानविय का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशस्त भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रभाव पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

सांकेतिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

एन. एन. एल. मल विकास
नैशनल विलिंग कॉड ऑफ इन्डिया
के उपस्था के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE:

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित नवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अगल शानन अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल ऊर्ध्वस्थ से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृत 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 125

DATE : 12-01-2026

PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K,SECTOR: 23
PRATAP NAGAR ,JAIPUR

ARCHITECTS:-

ma a r c h i t e c t s p v t . l t d .
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sakhar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patrika (P) Ltd.

 Authorised Signatory

Ar. Rameez Raza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352

अनुमोदित

OPEN ROOF TOP RESTAURANT BELOW

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222
दि. 06/2/26 के द्वारा जारी किये गये।

TOTAL PARKING PROVIDED BASEMENT - 01					
FLOOR	CARS	MECHANICAL CARS (1+1)	TWO WHEELERS SCOOTERS	E.C.U.	TOTAL E.C.U.
BASEMENT 1	33.00	0.00	36.00	12.00	45.00
TOTAL PROVIDED VISITOR PARKING CARS					33 cars
TOTAL PROVIDED E.V. PARKING CARS (10 % OF E.C.U.)					22 cars

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"क़ायी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राची
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस समीचीन का अनुमोदन किसी भी भक्ति
अन्यथा धूमि/सुदृढ के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-नाही माना जायेगा और नही
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

सिमेंट, ईंट, प्लास्टरिंग, व्यवस्थितों के
लिए विशिष्ट सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

पानी ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत लाइन, नलकाने एवं जल, मल निवहन
सेवाएं नेशनल विटिंग कॉड ऑफ प्रैक्टिस
के अनुसार होगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक भूतल पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य भूतल समान
अधिकारी समुदाय गहरा निगम से अनापति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवस्यन मण्डल
कार्यालय में अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वह मानचित्र पत्र सं० 222
दि० 06/12/22 को तैयार जारी किया गये।

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 125

DATE : 12-01-2026



PROJECT:-
PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K,SECTOR: 23
PRATAP NAGAR ,JAIPUR

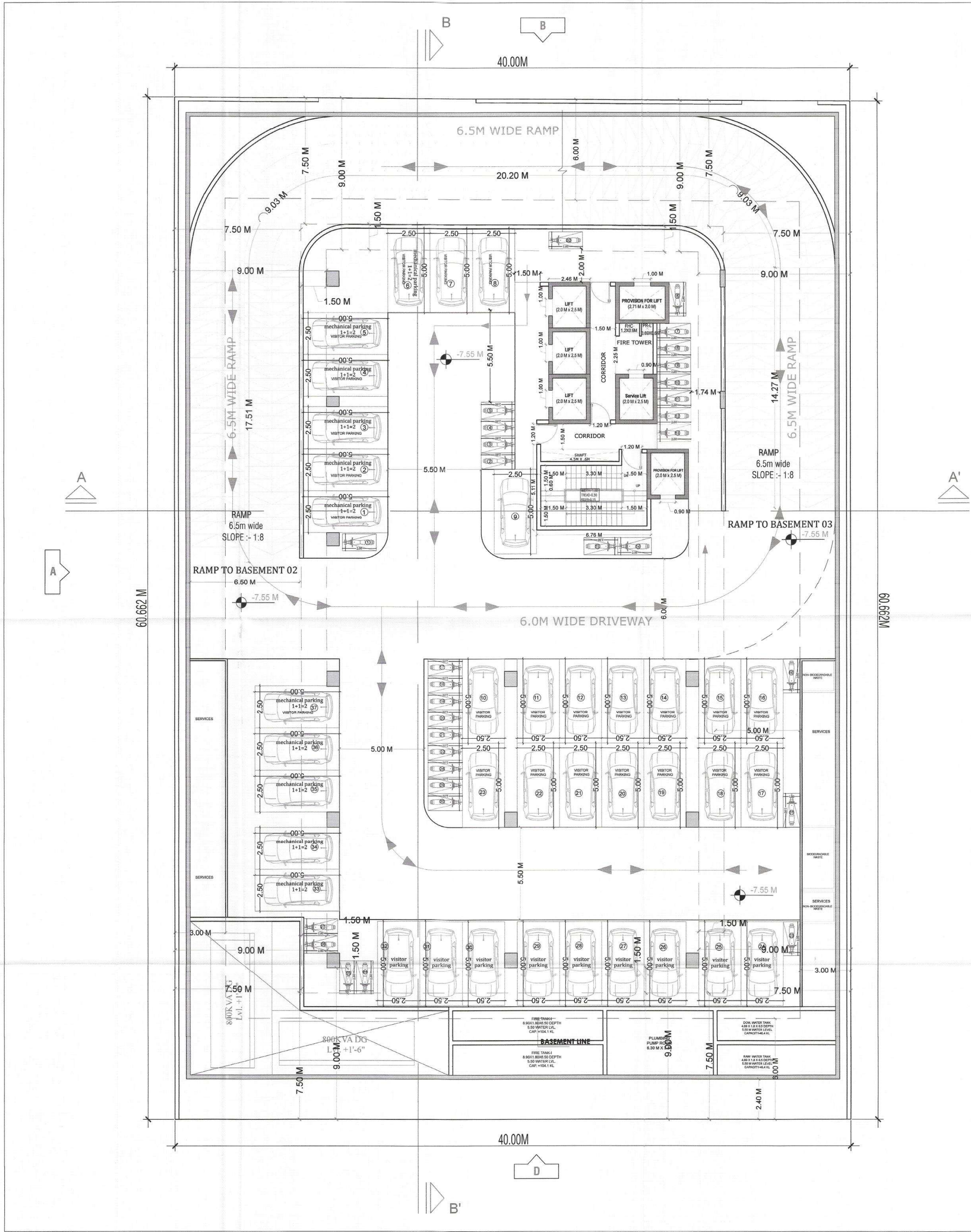
ARCHITECTS:-
m a architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No.-1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajeshwar Partha (P) Ltd.
Authorized Signatory

Mr. Ramesh Hazra Gaswani
B.Arch.
CA/2011/15552



TOTAL PARKING PROVIDED BASEMENT - 02					
FLOOR	CARS	MECHANICAL CARS (1+1)	TWO WHEELERS SCOOTERS	E.C.U.	TOTAL E.C.U.
BASEMENT 2	37.00	11.00	32.00	10.67	58.67
TOTAL PROVIDED VISITOR PARKING CARS					39 cars
TOTAL PROVIDED E.V. PARKING CARS (10 % OF E.C.U.)					0 cars

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"क्याही किसी नये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस भवन/विशेष का अनुमोदन किसी भी भाति
अवस्थान भूगर्भ/भूतल के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नही
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारों
ही प्रभावित होंगे।

सार्वजनिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सार ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

किन्तु, सेवा स्थापना एवं जल, मल निकास
सेवाएं मेकनल बिल्डिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अतिरिक्त
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापूर्ति प्रमाण
पत्र (NOC) सेवा होगा तथा आवासन मण्डल
कार्यालय में अनापूर्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जनी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

राजस्थान नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222-
दि. 06/12/2024 के द्वारा जारी किया गया।

SHEET NO. - 10

BASEMENT - 02 PLAN

PLAN & SECTION OF
TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING

PLAN

TYP. CROSS SECTION

TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 125

DATE : 12-01-2026

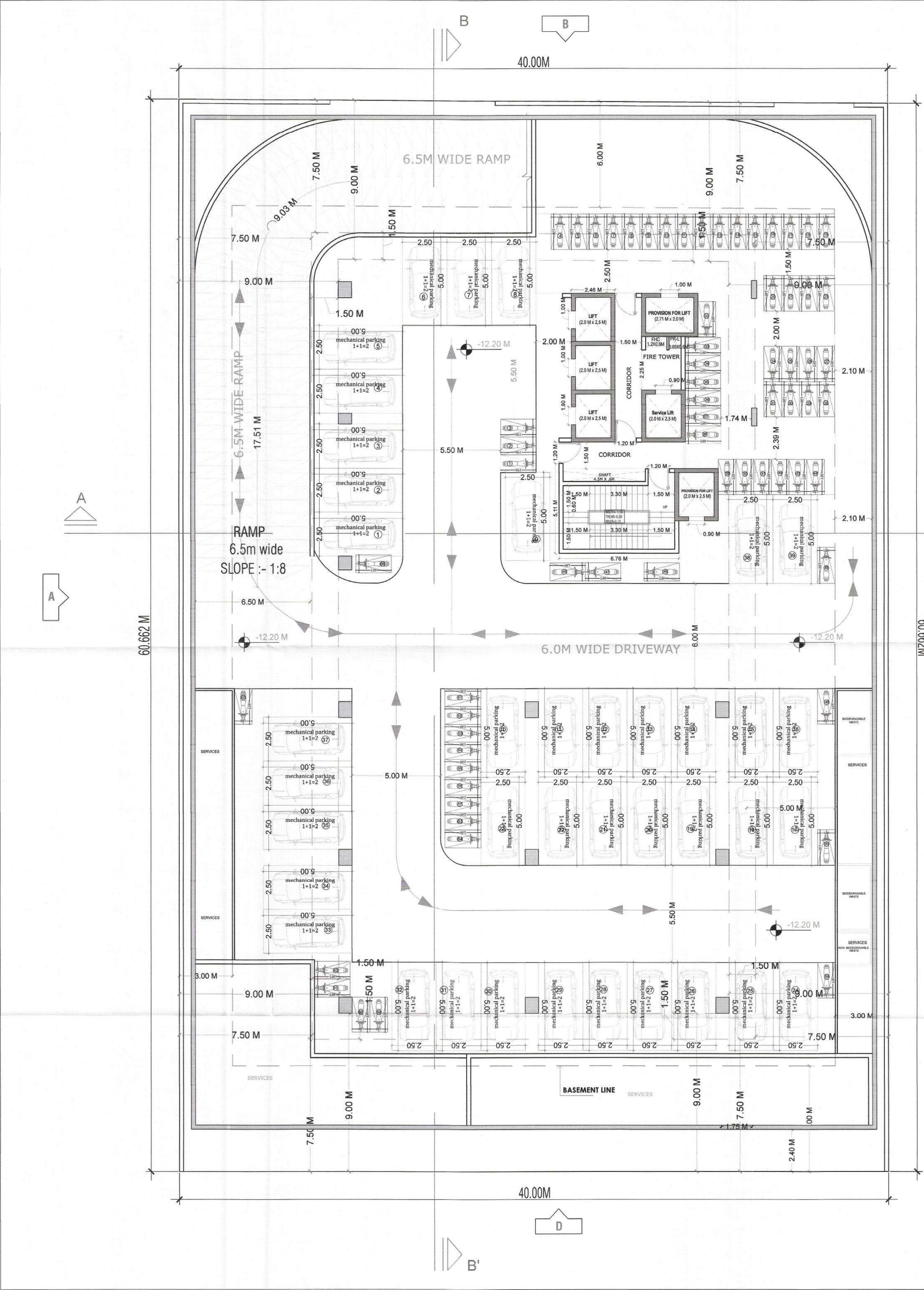
PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K,SECTOR: 23
PRATAP NAGAR ,JAIPUR

ARCHITECTS:-
m a r c h i t e c t s p v t . l t d .
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwood's Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS



TOTAL PARKING PROVIDED BASEMENT - 03				
FLOOR	CARS	MECHANICAL CARS (1+1)	TWO WHEELERS SCOOTERS E.C.U.	TOTAL E.C.U.
BASEMENT 3	39	39	66	22.00
TOTAL PROVIDED VISITOR PARKING CARS				0 cars
TOTAL PROVIDED E.V. PARKING CARS (10 % OF E.C.U.)				0 cars

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"खाते किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये महान निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का सचित्र प्रारूप का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N. B. C. Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रत्यक्ष भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जाये।

ख़ीर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत, तेल, नलकारी एवं जल, मल निचाल सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया के उपबन्धा के अनुसार होंगी।

THESE DRAWINGS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

These drawings shall be provided as per Rules

प्रस्तावित नगरे 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मॉडिफाई पर निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अतिरिक्त अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवसल मण्डल कार्यालय में अनापति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवसल मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवसल मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवसल मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र 22-2-2022 के द्वारा जारी किया गया है।

SHEET NO. - 11

BASEMENT - 03 PLAN

PLAN & SECTION OF TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING

5.00

2.50

PLAN

4.10

4.10

TYP. CROSS SECTION

TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 125

DATE : 12-01-2026

PROJECT:- PROPOSED COMMERCIAL PROJECT, AT PLOT NO. K,SECTOR: 23 PRATAP NAGAR, JAIPUR

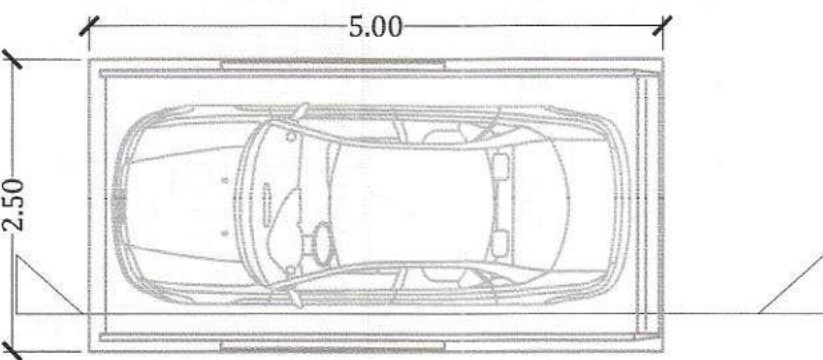
ARCHITECTS:- m a architects pvt. ltd. Jaipur - Bangalore - Hyderabad Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001 Tel : 91 141 4299999 , 2743613 email - studio@maarchitects.in web - www.maarchitects.in

OWNER ARCHITECTS

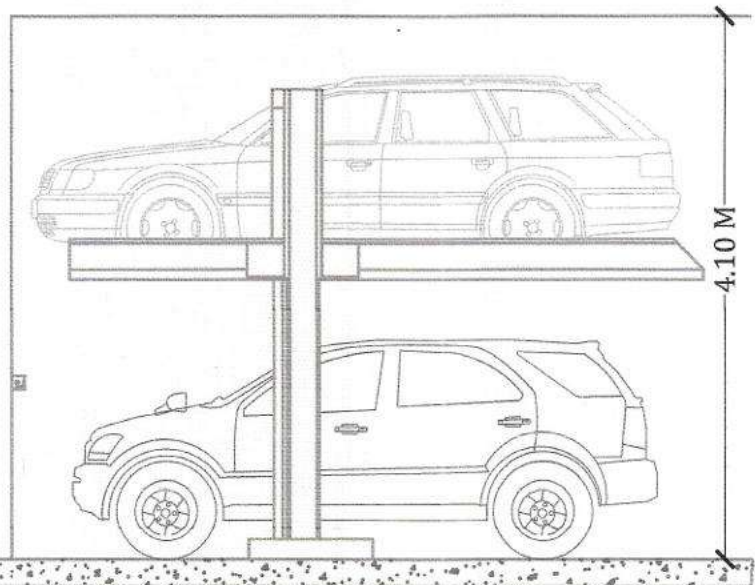
for Rajasthan Patika (P) Ltd. Authorised Signatory

Ar. Ramdas2022a Rajaswal B. Arch. CAI/2019/33352

PLAN & SECTION OF
TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING



PLAN



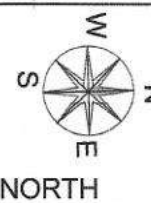
TYP. CROSS SECTION

TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 150

DATE : 12-01-2026



PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K,SECTOR: 23
PRATAP NAGAR ,JAIPUR

ARCHITECTS:-

m a r c h i t e c t s p v t . l t d .
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patrika (P) Ltd.
Authorised Signatory

Ar. Rameez Raza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जाएगा।

"छात्र किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्राची
का ही होगा।"

सुदृढीकृत Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भविष्य
प्रस्तुत भूमि/सुखबूझ के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-नहीं माना जाएगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
को प्रभावित होगा।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, गल प्रिक्स
सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इन्डिया
के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य अग्नि शमन
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल
कार्यालय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अतः यह स्पष्टी
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

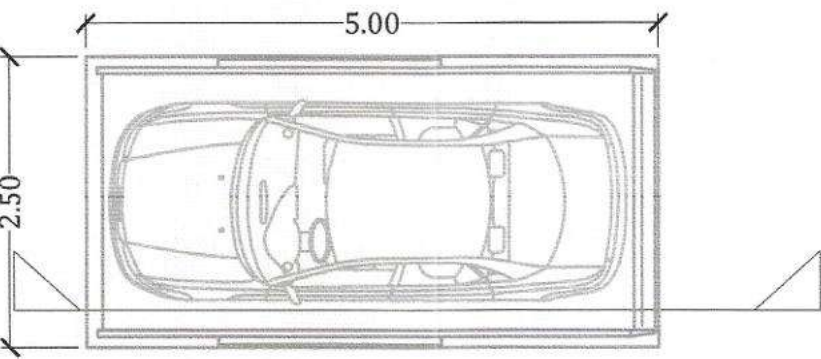
उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

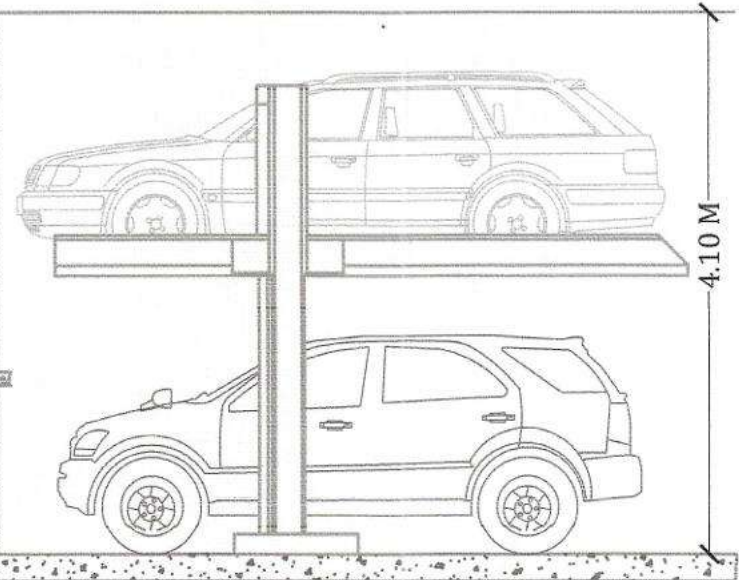
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222
दि. 06/12/24 के द्वारा जारी किया गया है।

PLAN & SECTION OF
TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING



PLAN



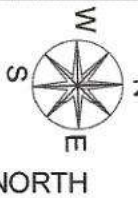
TYP. CROSS SECTION

TWO LEVEL DEPENDABLE PARKING

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 150

DATE : 12-01-2026



PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K,SECTOR: 23
PRATAP NAGAR JAIPUR

ARCHITECTS:-
m a architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999 , 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Parks (P) Ltd.
[Signature]
Authorised Signatory

[Signature]
Ar. Rameez Raza Gesawat
B.Arch.
CA/2011/53352

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जहाँ लिखे गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का संक्षिप्त प्रारूप
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शक्ति
प्रयोग में नहीं किया जायेगा। इस मानचित्र का
प्रयोग पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

शौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निवृत्त
सेवाएँ रेगुलर बिजली कंडा ऑफ लाइन्स
के उद्देश्य के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

प्रस्तावित भवन में 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य आगल शक्ति
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अपावर्त प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मंडल
कार्यालय में अपावर्त प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

प्रस्तावित भवन में 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य आगल शक्ति
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अपावर्त प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मंडल
कार्यालय में अपावर्त प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

[Signature]
उप नगर निरायक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

[Signature]
वरिष्ठ नगर निरायक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

[Signature]
अतिरिक्त मुख्य नगर निरायक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र 222
दि. 06/02/26 के द्वारा जारी किया गया।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जायी किये गये अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस सामयिकता का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/बुधार्थ के प्रति स्वामित्व का प्रमाण पत्र—नहीं माना जायेगा और नहीं इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा का प्रावधान नियमानुसार किया जावे।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नालकारी एवं जल, मल निकास
सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कॉन्ड ऑफ इन्डिया
के उपबंधों के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

**Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules**

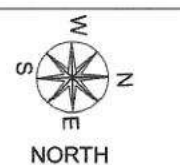
प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर निर्माण शुरू करने से पूर्व भुज्ज अग्नित शमन अधिष्ठाता सम्पुर नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवासन मण्डल कार्यलय में अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्वीकृति 15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 150

DATE : 12-01-2026



PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K,SECTOR: 23
PRATAP NAGAR ,JAIPUR

ARCHITECTS:-
m a | a r c h i t e c t s p v t . l t d .
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sakkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS


उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं. 222
दि. 06/12/26 के द्वारा जारी किये गये।

<p>OWNER</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Authorised Signatory For Rajasthan Pariksha (P.A.L.)</p>	<p>ARCHITECTS</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Ar. Rameez Raza Gessarat B. Arch. CALCUTTA-751002</p>
--	--

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्र
में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना
(STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी
का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N. B. C.
Norms.

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी शक्ति
प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का
प्रमाण पत्र-नहीं माना जायेगा और नहीं
इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी
ही प्रभावित होंगे।

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के
लिए विशेष सुविधा का प्रावधान
नियमानुसार किया जाये।

सीर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल निष्कास
सेवाएं महानगर बिजली बोर्ड और इन्फिया
के उपरान्त के अनुसार होंगी।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO SEVEN YEARS
FROM DATE OF ISSUE.

Rain Water Harvesting Units
Shall be Provided as per Rules

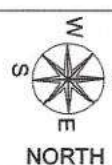
प्रस्तावित भवन 15 मीटर से अधिक ऊँचाई होने
के कारण 15 मीटर से अधिक मंजिलों पर
निर्माण शुरू करने से पूर्व मुख्य शक्ति प्रमाण
अधिकारी जयपुर नगर निगम से अनापूर्ति प्रमाण
पत्र (NOC) लेना होगा तथा आवश्यक मण्डल
कार्यालय में अनापूर्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत
की जानी अनिवार्य होगी। अन्यथा यह स्कीम
15 मीटर ऊँचाई तक ही मान्य होगी।

अनुमोदित

TITLE:- SUBMISSION DRAWINGS

SCALE:- 1= 150

DATE : 12-01-2026



PROJECT:-

PROPOSED COMMERCIAL PROJECT,
AT PLOT NO. K, SECTOR: 23
PRATAP NAGAR JAIPUR

ARCHITECTS:-

m a architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods Lal Kothi
Scheme, Sahkar Marg, Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999, 2743613
email - studio@maarchitects.in
web - www.maarchitects.in

OWNER

ARCHITECTS

For Rajasthan Patrika (Pvt.)
Authorised Signatory

Mr. Ramnarayan Dasgupta
B. Arch.
CA/201/15352



ELEVATION AT B

ELEVATION AT C

उप नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान आवासन मण्डल
जयपुर

यह मानचित्र पत्र सं०...222...
दि०३६/१२/२६ के द्वारा जारी किये गये।

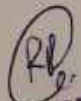
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In reference to Project "**Patrika ATLAS**" Situated at Commercial Plot No. 23/K, Sector-23, Pratap Nagar, Sanganer, Jaipur-302033.

I, Ar. Rameez Raza Gesawat, architect of the Project does solemnly declare that the parking details in the project is as follows: -

Particulars	No. of Cars	No. of Two Wheelers	Mechanical Car Parking	Mechanical Car Parking (Visitor)	No. of Visitors Parking (Cars)	No. of Visitors Parking (Two Wheelers)	Total Parking (in all) Cars	Total Parking (in all) Two Wheelers
Open Area					2	27	2	27
Stilt Floor								
Basements (1,2 and 3)	66	107	41	9	43	27	159	134
Any other Floor								
Total	66	107	41	9	45	54	161	161

Note: The total car parking provided includes 50 mechanical parking spaces, out of which 9 spaces are designated for visitor parking.. The total no. of Visitor parking cars in basement is 52


Ar. Rameez Raza Gesawat
B. Arch.
CA/2011/53352